उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-3943 /पांच-8-2017-जी(306)/2016

लखनऊ: दिनांक 07 फरवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-168(1)/चि-3-12-03(नियुक्ति)/2012, दिनांक 21-02-2012 द्वारा डा0 रोहित गौतम, चिकित्साधिकारी की नियुक्ति जिला चिकित्सालय, जौनपुर में की गई थी, परन्तु डा0 रोहित गौतम, चिकित्साधिकारी द्वारा अपनी माता की बीमारी के कारण तत्समय अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं किये। डा0 गौतम के पत्र दिनांक 31-03-2012 द्वारा अपनी तैनाती जिला चिकित्सालय, जौनपुर को संशोधित कर जिला चिकित्सालय, गाजीपुर किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। डा0 गौतम द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गाजीपुर में संविदा पर कार्यरत होना बताया गया है। डा0 रोहित गौतम चिकित्साधिकारी (एम0एस0 जनरल सर्जरी) द्वारा अपने पत्र दिनांक 17-11-2016 द्वारा पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में डा0 रोहित गौतम चिकित्साधिकारी की पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गाजीपुर के पत्र संख्या-जि0चि0/सर्जन/नियुक्ति/2016-17/1199, दिनांक 17-11-2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त डा0 रोहित गौतम चिकित्साधिकारी को जिला चिकित्सालय, चन्दौली में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनकी अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा0 रोहित गौतम चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 28-02-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त समझा जायेगा।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21-02-2012 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

राम नगीना मौर्य

संयुक्त सचिव।

संख्या- 3943 (1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0,लखनऊ।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी/इलाहाबाद मण्डल।

5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, जौनपुर/चन्दौली।

6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर/चन्दौली।

7- संबंधित चिकित्साधिकारी।

8- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।